दिव्यांगजन कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

04.09.2020

1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) का कार्यान्वयन करता है। यह योजना मार्च 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जो लाभकारी वेतन रोजगार या स्वरोजगार में उनके नियोजन में मदद करेगी। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और इसे विभाग के प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी) के रूप में सूचीबद्ध हैं विभिन्न संगठनों (सरकारी या गैर-सरकारी) और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाले एनएचएफडीसी, एनआई और सीआरसी जैसे संगठनों के माध्यम से देश भर में लागू किया गया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सामान्य मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाता है।

2. कौशल विकास:

15 जुलाई 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा जारी सामान्य मानदंडों की अधिसूचना के अनुसार, "किसी भी सरकारी योजना के उद्देश्य के लिए कौशल विकास" को किसी भी डोमेन विशिष्ट की मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो रोजगार के लिए अग्रणी है या किसी भी प्रतिभागी को परिणामोन्मुखी गतिविधि का ऐसा कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है जिसका एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा विधिवत मूल्यांकन और प्रमाणित किया गया हो और जो उसे वेतन/ स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाती हो और जिससे आय में वृद्धि होती है, और / या काम करने की स्थिति में सुधार होता है, जैसे कि अब तक अनौपचारिक कौशल के लिए औपचारिक प्रमाणीकरण प्राप्त करना, और/या अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में जाना या उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करना और नए प्रवेशकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण की श्रेणी में शामिल होंगे, ऐसे व्यक्तियों के लिए पुन: कौशल या कौशल उन्नयन करना जो पहले से ही किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं या जिन्होंने अनौपचारिक, गैर-औपचारिक या प्रायोगिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल हासिल कर लिया है।

3. पूर्व अधिगम की मान्यता की अवधारणा (आरपीएल):

यह सामान्य मानदंडों में परिभाषित कौशल विकास की निर्धारित श्रेणियों/घटकों में से एक है। आरपीएल ऐसे व्यक्तियों के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण द्वारा कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, जिन्होंने किसी भी वोकेशनल ट्रेड या शिल्प में अनौपचारिक, गैर-औपचारिक या अनुभवात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल हासिल किया है, पूरक पाठ्यक्रमों के बाद औपचारिक मान्यता और ऐसे कौशल का प्रमाणीकरण, यदि आवश्यक हो । यह मानकों, दक्षताओं, या सीखने के परिणामों के किसी दिए गए सेट के तहत क्षमता को पहचानने के उद्देश्य से कक्षा के बाहर अर्जित कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। यह किसी दिए गए मानकों या सीखने के परिणामों के संबंध में सक्षमता के अपने दावे का समर्थन करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य का आकलन है।

4. आरपीएल के उद्देश्य:

आरपीएल मूल रूप से एक मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल सेट, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है जो औपचारिक, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसका उद्देश्य है:

i. देश के गैर-विनियमित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप बनाए ,
ii. किसी व्यक्ति के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करे और
iii. ज्ञान के कुछ रूपों के आधार पर दूसरों पर विशेषाधिकार देने की असमानताओं को कम करने के अवसर प्रदान करे।
iv. इस प्रकार, आरपीएल शिक्षा के औपचारिक स्तरों के रूप में समान स्वीकृति प्राप्त करने के लिए काम के माध्यम से अनौपचारिक सीखने या सीखने को मान्यता प्रदान करने का एक मंच है। यह एक प्रक्रिया के रूप में सीखने के बजाय एक परिणाम के रूप में सीखने को उचित महत्व देने के लिए किसी व्यक्ति के पूर्व अधिगम के आकलन की एक प्रक्रिया है।

5. एनएपी के तहत आरपीएल के मामले में सामान्य मानदंडों और पीएमकेवीवाई के प्रावधानों की प्रयोजनीयता :

यह सामान्य मानदंड है जो कौशल विकास के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में आरपीएल के लिए मंच प्रदान करता है। चूंकि, एनएपी को सिपडा (www.disabilityaffairs.gov.in पर दिशानिर्देश) के तहत सामान्य मानदंडों के अनुसार लागू किया गया है, एनएपी के तहत आरपीएल को भी सामान्य मानदंडों के अनुसार लागू किया जाएगा। तदनुसार, एनएपी के तहत आरपीएल के लिए प्रशिक्षण लागत और पाठ्यक्रम परिचर्या, मूल्यांकन/प्रमाणन और प्लेसमेंट आदि सहित अन्य वित्तीय पहलू सामान्य मानदंडों के अनुसार होंगे।

6. अभिमुखी (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम की अवधि:

परामर्श चरण के दौरान पहचाने गए ज्ञान अंतराल को दूर करने के लिए, डीईपीडब्ल्यूडी के एनएपी के तहत पीडब्ल्यूडी के लिए आरपीएल के तहत ओरिएंटेशन कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :

क्र.सं.	गतिविधियां	एनएपी-आरपीएल के लिए प्रस्तावित
1	डोमेन विशिष्ट	12 घंटे
2	सॉफ्ट स्किल्स	08 घंटे
3	परिचय	02 घंटे
4	कुल	22 घंटे

7. मूल्यांकन:

उम्मीदवारों का मूल्यांकन या तो एससीपीडब्ल्यूडी अथवा संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल्स (एसएससी) द्वारा किया जाएगा । मूल्यांकन प्रक्रिया और मानदंड पीएमकेवीवाई आरपीएल के तहत अनुपालन किए जाने वाले के समान होंगे जिसमें उम्मीदवार का मूल्यांकन एक (क्यूपी) योग्यता पैक के कोर के साथ-साथ गैर-कोर एनओएस (राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक) दोनों पर किया जाता है। उम्मीदवार के कुल मूल्यांकन स्कोर में कोर एनओएस का वेटेज 70% होगा और गैर-कोर का वेटेज 30% होगा। एसएससी क्षेत्र की

विशेषता और ऑनलाइन मॉड्यूल की उपलब्धता के आधार पर ऑफलाइन और ऑनलाइन मूल्यांकन करने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।

8. उम्मीदवारों को प्रमाणन, मार्कशीट और पे-आउट वितरण:

आरपीएल के तहत दिव्यांगजन लाभार्थियों के प्रमाणन, मार्क-शीट और पे-आउट के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा:

क्र.सं.	परिणाम की श्रेणी	पुरस्कार घटक
1	70% या उससे अधिक अंकों वाले उम्मीदवार	आरपीएल प्रमाणपत्र, मार्कशीट और 1000/- रुपये
2	70% से कम लेकिन 30% और उससे अधिक अंक वाले उम्मीदवार	मार्कशीट और 1000/- रुपये
3	30% से कम अंक वाले उम्मीदवार	केवल मार्कशीट*

* कुल अंकों का 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को एनएपी के तहत अल्पावधि प्रशिक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

9. प्रशिक्षण या वितरण चैनलों के लिए केंद्र और टीपी/पीआईए के लिए पे-आउट:

जबकि कार्यान्वयन की प्रक्रिया काफी हद तक सभी मोड में समान रहती हैं, आरपीएल को चार विभिन्न मोड से लागू किया जा सकता है । तदनुसार, डीईपीडब्ल्यूडी के एनएपी के तहत आरपीएल को भी चार अलग-अलग मोड में लागू किया जाएगा और पीआईए को भुगतान उन मोड के आधार पर भिन्न होगा जो इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	प्रशिक्षण का मोड	प्रशिक्षण का विवरण	पीआईए के लिए भुगतान (रुपये/दिव्यांगजन)
1	शिविर मोड	टीपी/पीआईए एक विशेष स्थान का लक्ष्य रखता है जहां विशेष कौशल सेट वाले उम्मीदवारों के एक निश्चित समूह/क्लस्टर को समेकित किया जाता है। ये 5 आरपीएल प्रक्रियाओं के औद्योगिक या पारंपरिक समूह हो सकते हैं, 4 प्रक्रियाएं (संघटन को छोड़कर) आरपीएल शिविर/केंद्र में की जाती हैं।	2200/- रुपये

2	नियोक्ताओं का परिसर	पहले से नियोजित उम्मीदवारों का आरपीएल इस मोड में मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण भागीदार/पीआईए एक नियोक्ता के साथ साझेदारी कर सकता है जिसमें वह पहले से नियोजित उम्मीदवारों (या तो नियोक्ता की स्थायी या संविदात्मक शर्तों पर) को कार्य में शामिल करने या उस उद्योग में संभावित नौकरी चाहने वालों को शामिल करने का विकल्प चुन सकता है। सभी 5 प्रक्रियाएं परिसर में की जाती हैं।	1900/- रुपये
3	प्रशिक्षण केंद्र	आरपीएल का आयोजन टीपीएस/पीआईए द्वारा संचालित नामित प्रशिक्षण केंद्रों पर भी किया जाएगा। प्रशिक्षण चैनल का यह मोड उन उम्मीदवारों के लिए अधिक उपयुक्त है जो सप्ताहांत के दौरान आरपीएल के तहत भाग लेने के इच्छुक हैं । केंद्रों में आरपीएल, आरपीएल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वॉक-इन सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए एक प्रभावी तरीके के रूप में कार्य करता है।	2100/- रुपये
4	नियोक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के साथ आरपीएल	यह मोड एसएससी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष (टॉप) प्रतिष्ठित नियोक्ताओं के साथ लचीले (फ्लेक्सिबल) और प्रत्यक्ष सहयोग पर केंद्रित है जो शीर्ष नियोक्ता को गतिविधियों के केंद्र में रखने के उद्देश्य से पीआईए के रूप में कार्य करता है, और विभिन्न क्षेत्रों में नियोक्ताओं में मौजूद बड़े अप्रमाणित कार्यबल के लिए एनएसक्यूएफ प्रमाणन को प्रदान करें । इस मोड में प्रस्तावित परियोजनाएं 'नियोक्ता निर्धारक' के रूप में नियोक्ताओं के शीर्ष शेफ/विभागीय प्रमुख/ पर्यवेक्षकों /कार्यशाला प्रबंधकों/ वरिष्ठ पर्यवेक्षकों/ मास्टर प्रशिक्षकों का उपयोग करने के लिए तत्पर हैं । इस मोड में आरपीएल अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने और अधिक वस्तुनिष्ठता लाने का विचार किया गया है।	1200/- रुपये (नियोक्ता को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा)

10. ब्रिज कोर्स विकल्प:

यदि आवश्यक हो, तो पीआईए पैरा 8 के तहत सूचीबद्ध मानकीकृत उन्मुखीकरण गतिविधियों के अलावा उम्मीदवारों को प्रदान किए जाने वाले ब्रिज कोर्स का प्रस्ताव कर सकता है । यह ब्रिज कोर्स 60-80 घंटे की अवधि का होगा और जॉब रोल के कोर एनओएस पर आधारित होगा। पीआईए ब्रिज कोर्स शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि चयन समिति का अनुमोदन हो। ब्रिज कोर्स के लिए पीआईए को भुगतान सामान्य मानदंडों के

अनुसार के अनुसार होगा और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए पीआईए के कुल भुगतान के अतिरिक्त भुगतान को ऊपर पैरा 11 के तहत निर्दिष्ट किए गए अनुसार किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण के मामले में किए गए सामान्य लागत मानदंडों में निर्धारित दरों के अनुसार दिव्यांग प्रशिक्षार्थियों को वाहन और बोर्डिंग-लॉजिंग शुल्क भी प्रदान किया जाएगा।

11. एनएपी के तहत आरपीएल के लिए लक्षित लाभार्थियों और उनके पात्रता मानदंड:

आरपीएल के तहत लक्षित लाभार्थी नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार दिव्यांग हो सकते हैं:

i. भारतीय नागरिक।
ii. कम से कम 40% दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्ति और जिसके पास किसी भी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र है।
iii. आवेदक द्वारा प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से छह महीने पहले की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसी अन्य कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं किया गया है जिसके लिए विचार किया जा रहा है।
iv. 15 से 59 आयु वर्ग के दिव्यांगजन एनएपी के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। तदनुसार, आरपीएल के अंतर्गत भी यह आयु मानदंड होगा बशर्ते कि संबंधित जॉब रोल के लिए एसएससी द्वारा परिभाषित प्री-स्क्रीनिंग मानदंडों में योग्य होने के शर्त के अतिरिक्त, विभिन्न क्यूपी के लिए आयु मानदंडों की आवश्यकता हो।

12. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या जॉब रोल:

एनएसक्यूएफ में दिव्यांगजनों के लिए एनएपी के तहत जॉब रोल के अनुरूप आरपीएल प्रदान की जाएगी। मौजूदा मॉडल पाठ्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार घंटों की संख्या होगी।

13. चयन समिति:

राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए विभाग की मौजूदा चयन समिति द्वारा पीआईए/प्रशिक्षण भागीदारों का पैनलबद्धता (मौजूदा ईटीपी के अलावा) और प्रस्तावों/लक्ष्यों के आवंटन का अनुमोदन किया जाएगा ।

14. पीआईए को किश्तों में भुगतान:

पीआईए को भुगतान निम्नलिखित दो किश्तों में किया जाएगा:

किस्त	प्रति दिव्यांगजन की लागत का %	उपलब्धि/आउटपुट पैरामीटर
पहली	30%	एक उम्मीदवार के नामांकन पर
दूसरी	70%	एक उम्मीदवार के सफल प्रमाणीकरण पर

15. दिशा-निर्देशों की समीक्षा:

विभाग आवश्यकताओं के अनुसार आरपीएल प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है।

****